न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–37/2020

दिनानाथ चौधरी.....वादी

बनाम

किशुन चौधरी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
05.12.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख प्रतिवादी सं0–20 ता 24 की ओर दिये गये आवेदन दिनांक 03.08.2023 अंतर्गत भारतीय परिसीमा अधिनियम के धारा 05 आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** प्रतिवादी सं0–20 ता 24 की ओर से अपने आवेदन दिनांक 03.08.2023 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में कुछ आवश्यक कागजात उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रतिवादी सं0–20 ता 24 अपना बयान तहरीरी दाखिल नहीं कर सके तथा दिनांक 22.09.2022 को श्रीमान् के द्वारा बयान तहरीरी दाखिल करने से वंचित कर दिया गया। प्रतिवादी सं0–20 ता 24 वाद में संघर्ष करना चाहते है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रतिवादी सं0–20 ता 24 द्वारा दाखिल बयान तहरीरी को दाखिल करने में हुये विलंब को माफ कर बयान तहरीरी स्वीकार करने की कृपा की जाय। वादी की ओर से प्रतिवादी सं0–20 ता 24 के आवेदन का मौखिक विरोध किया तथा कहा कि प्रतिवादी सं0–20 ता 24 को पर्याप्त समय देने के बावजूद भी समय पर बयान तहरीरी दाखिल नही किया है। अतः आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी सं0–20 ता 24 दिनांक 18.03.2021 को न्यायालय में अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुये तथा दिनांक 22.09.2022 को प्रतिवादी सं0–20 ता 24 को बयान तहरीरी दाखिल करने से वंचित किया गया तथा दिनांक 03.08.2023 को प्रतिवादी सं0–20 ता 24 की ओर से बयान तहरीरी दाखिल किया गया। विधि का सुस्थापित	

न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–37/2020

दिनानाथ चौधरी.....वादी

बनाम

किशुन चौधरी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 05.12.2024	सिद्धांत है कि किसी भी वाद का निस्तारण उभय पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए। जिससे वाद का निस्तारण अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। अतः प्रतिवादी सं0–20 ता 24 को अपना पक्ष प्रस्तुत कर वाद में संघर्ष करने का अवसर देना न्यायोचित प्रतीत होता है परंतु प्रतिवादी सं0–20 ता 24 द्वारा नियत समय के बाद दिनांक 03.08.2023 को न्यायालय में आवेदन देकर बयान तहरीरी को स्वीकार करने का निवेदन किया है। अतः न्यायहित में प्रतिवादी सं0–20 ता 24 का आवेदन दिनांक 03.08.2023 मो0–2000/– रूपये हर्जे पर स्वीकार करते हुए प्रतिवादी सं0–20 ता 24 की ओर से दिये गये बयान तहरीरी को ग्रहण किया जाता है तथा आदेश दिनांक 22.09.2022 को वापस लिया जाता है। आगामी दिनांक 16.01.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	